उच्च शिक्षा विभाग

ऑनलाइन प्रवेश : एन.सी.टी.ई.पाठ्यक्रम

सत्र 2023–24

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु)
बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड.(द्विवर्षीय), बी.एड.एम.एड.
(एकीकृत तीन वर्षीय) एवं बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड., बी.एल.एड.
(चार वर्षीय) तथा बी.एड. (अंशकालीन–तीन वर्षीय) पाठ्यक्रमों से संबंधित

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका

कार्यालय–आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल–462004
नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर :– 0755–2554572
ई–मेल **affil-he@mp.gov.in**
तकनीकी समस्या हेतु एम.पी.ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर :– 0755–6720201

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::

// आदेश //

भोपाल, दिनांक– 10 /03/2023.

कमांक– 193/47 /सीसी/2022/अड़तीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2023–24 के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली की याचिका क्रमांक (सिविल) 276/12 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2012 के परिपालन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड., (एकीकृत तीन वर्षीय), बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड., बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन–तीन वर्षीय) में प्रवेश हेतु ऑनलाईन प्रवेश समय सारणी तथा संबंधित प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्वांत जारी किया जाता है।

संलग्न–प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्वांत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

10.3.23

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक 194/47/सीसी/2023. भोपाल, दिनांक – 10/03/2023.

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल, म.प्र.।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा,म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा (म.प्र.)।
7. कुलसचिव,महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. प्राचार्य, समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश।
10. कुल सचिव/प्राचार्य, संबंधित समस्त हेल्प सेंटर (एन.सी.टी.ई. के पाठ्यकमों में प्रवेश) मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य/संचालक, एन.सी.टीई. के पाठ्यकम संचालन करने वाली समस्त संस्थाएँ, मध्यप्रदेश।
12. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु ।
13. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर विभागीय 'वेबसाइट' पर प्रकाशन हेतु।

..... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

10/3/23

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग

3. सीटों का आरक्षण :

3.1 आरक्षण प्रतिशत :

अ. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

क्र0क्र0	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिकनी–परत छोड़कर)	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत

नोटः मध्यप्रदेश के राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681–227–इक्कीस–अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में संशोधन किया गया। रिट याचिका क्रमांक 5901/2019 द्वारा : सुश्री आशिता दुबे विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 19.03.2019 को पारित आदेश के परिपेक्ष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत की सीमा को 14 प्रतिशत ही रखा गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार इसे परिवर्तित किया जा सकेगा।

ब– मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गों का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों के लिए 03 प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।

3.2 महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) है। कुल स्थानों की 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

3.2.1 सैनिक संवर्ग (एस) : कुल स्थानों के तीन प्रतिशत सीटें क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों व उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होगी। सैनिक वर्ग में सशस्त्र कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत सशस्त्र कर्मचारी तथा ऐसे सशस्त्र कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण–पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होगें।

अथवा

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.)

नियमित पाठ्यक्रम

प्रवेश नियम

(अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालयों हेतु)

टीप– कॉलम 4 में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. द्वारा हायर सेकेण्डरी (+2) परीक्षा अनुसार शेष संकायों यथा वाणिज्य, कृषि, गृहविज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, फाईन आर्टस इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिए सीट्स निर्धारित रहेंगी। यदि किसी संकाय के लिए निर्धारित सीट्स के लिए योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहेंगे अथवा सीट्स रिक्त रहती है तो अन्य संकाय के अभ्यार्थियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकेगी।

7. आरक्षण

7.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए विभिन्न श्रेणियों में स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा–

(1) अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए	16 प्रतिशत
(2) अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए	20 प्रतिशत
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीम लेयर छोड़कर) के प्रत्याशियों के लिये	27 प्रतिशत
(4) आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के प्रत्याशियों के लिये	10 प्रतिशत

आरक्षित स्थानों (सीट्स) पर विहित अर्हता रखने वाले संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य श्रेणी के पात्र अभ्यार्थियों से रिक्त स्थान (सीट्स) भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित तालिका अनुसार होगी–

अनुसूचित जनजाति श्रेणी में स्थान रिक्त हाने पर	प्रथमतः अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	द्वितीयः अन्य पिछड़ा श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	तृतीयतः (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों लियें
	चतुर्थतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से
अनुसूचित जाति श्रेणी में स्थान रिक्त हाने पर	प्रथमतः अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से
	द्वितीयः अन्य पिछड़ा श्रेणी के अभ्यार्थियों से
	तृतीयतः (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों लियें
	चतुर्थतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों से
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में स्थान रिक्त होने पर	प्रथमतः अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से
	द्वितीयतः अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से
	तृतीयतः (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों लियें
	चतुर्थतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों से

7.2 उपरोक्तानुसार प्रवेश प्रदान करने के पश्चात् भी यदि महाविद्यालयों में सीट रिक्त रहती है तो प्रवेश प्रक्रिया में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। मूल निवासी के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिले से जारी म.प्र. के मूल निवासी प्रमाण–पत्र, अभ्यर्थी का आधार कार्ड/राशनकार्ड/समग्र आई.डी/वोटर आई.डी. (माता पिता या स्वयं) में उल्लेखित पता अथवा कक्षा 12 उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र में से किसी एक को जिले के मूल निवासी के दस्तावेज के रूप में मान्य किया जायेगा।

7.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अतिरिक्त अन्य परीक्षा निकायों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से ग्राहयता प्राप्त की जाना अनिवार्य है।

7.4 महिलाओं के लिए आरक्षणः

इन महाविद्यालयों में भरे जाने वाले कुल सीट्स की 50 प्रतिशत सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज) होगा। यहां प्रभागवार आरक्षण से आशय प्रत्येक वर्ग अर्थात् अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., EWS तथा अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित स्थानों में महिला अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। किसी प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी आवश्यक संख्या में उपलब्ध नहीं होने की दशा में डी. एल.एड. पाठ्यक्रम के रिक्त सीट्स की पूर्ति उसी प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर की जाएगी।

7.4 निःशक्तजन हेतु आरक्षणः

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु कुल स्वीकृत सीट्स में से 6 प्रतिशत सीट्स पर निःशक्तजन को समस्तर (हेरिजेन्टल) आरक्षण प्रदान किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 (1) के आनुसार दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि, बधिर और कम सुनने वाले तथा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग उपरोक्तानुसार श्रेणियों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक श्रेणी को 1.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। निःशक्तजन श्रेणी के आवेदक को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आरक्षण प्रदान की अधिसूचना क्रमांक एवं 8–01–सत्रह–मोडि–2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी को विकलांगता का प्रतिशत, 40 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर ही निःशक्तजन श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।